

Aug-6115 Chaw

123

प्रेषक

प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
वन विभाग।

सेवा में

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, हरियाणा,
पंचकुला।

यादि क्रमांक 453-व-5-2015/ 17330
चण्डीगढ़ दिनांक 8/10/15

विषय:

Diversion of 0.0086 ha. of forest land for access to retail outlet of I.O.C. Ltd. along Gurgaon-Pataudi road, km 19-20, R/side, at village Khawaspur, under forest division and District Gurgaon, Haryana. (D-III-6115)

संदर्भ:-

आपका पत्र क्रमांक डी-III-6115/2153 दिनांक 2.07.2015.

121

कृपया उपर्युक्त विषय पर आप द्वारा संदर्भाधीन पत्र द्वारा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 की धारा 2 के अधीन अनुमति मांगी गई है।

2. विभाग के प्रस्ताव का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने के पश्चात् उपर्युक्त विषय हेतु 0.0086 ha. वन भूमि के उपयोग के लिए सैधांतिक सहित स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने पर प्रदान की जाती है:-

- (i) प्रयोक्ता एजेंन्सी से स्कीम के अनुसार 58,440/-रु प्रतिपूर्ति पौधारोपण की राशि जमाकरवाई जाये।
- (ii) माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 30.10.2002, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के निर्देश संख्या 5-3/20.07-एफओसी० दिनांक 05.02.2009 के अनुसार प्रयोक्ता एजेंन्सी से प्रस्तावित वन भूमि की नैट प्रोजेक्ट वैल्यु जमा करवाई जाये।
- (iii) भारत सरकार पत्र संख्या 5-2/कैम्पा दिनांक 24.06.2011 के तहत दिए गये अनुदेशों के अनुसार NVP तथा दूसरी निधियां प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकार के तदर्थ निकाय के (कैम्पा हरि०) लेखा संख्या SB01025209 कारपोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपकरण), ब्लाक-11 भूतल सी०जी०ओ० काम्प्लेक्स, फेज-1, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003 या (कैम्पा-हरि०) लेखा संख्या SB344902010105418 भारतीय यूनिजन बैंक, सुन्दरनगर, नई दिल्ली में जमा कराया जाये और सरकार को निर्धारित प्रोफार्मा द्वारा सूचित किया जाये।

3. उपर्युक्त शर्तों की अनुपालना रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए तथा ओ०एस०डी० तदर्थ कैम्पा से राशि जमा होने की पुष्टी भी करवाई जाये ताकि मामले में आगामी कार्यवाही की जा सके। राज्य सरकार की अन्तिम अनुमति दिए जाने तक वन भूमि पर कार्य नहीं किया जाना चाहिए।

विशेष सचिव, 8/10/15

कृते: प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
वन विभाग।

प्रतिलिपि:-

- 1. वन संरक्षक (केन्द्रीय), क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, बेज नं० 24-25, सैक्टर-31-ए, चण्डीगढ़।
- 2. वन मण्डल अधिकारी, गुडगांव।

एकजिले D/o Gurgaon का डायरेक्टर
कार्यालय इंडस्ट्रियल डी

4401

19-10-15

Nodal Officer & Conservator of Forests (FC)
C/o Principal Chief Conservator of Forests
Haryana, Panchkula

19/10/15